# ग्राम पंचायत भटवारी, विकास खण्ड सदर, जिला मंडी के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

## अवधि 01.04.14 से 31.03.17

### भाग- एक

**1 (क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत भटवारी , विकास खण्ड सदर ,जिला मंडी के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

| क्र० सं० | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री बृज लाल | 01.04.14 से 22.01.16 |
| 2 | श्रीमति पुरनू देवी | 23.01.16 से लगातार |

सचिव :-

| क्र० सं० | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री कमल | 01.04.14 से 31.12.16 |
| 2 | श्री रूम सिंह | 01.01.17 से लगातार |

**(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-**

ग्राम पंचायत भटवारी, विकास खण्ड मंडी के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

| क्र०सं० | पैरा सं० | अनियमितताओं का संक्षिप्त सार | राशि (लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष | 1.05 |
| 2 | 6 | अनुदान राशि का उपयोग न करना | 19.91 |
| 3 | 7 | निर्माण सामग्री के क्रय पर अधिक भुगतान | 0.08 |
| 4 | 8 | क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना | 0.10 |

### भाग - दो

**2 वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत भटवारी, विकास खण्ड सदर, जिला मंडी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विनय कुमार, अनुभाग अधिकारी तथा श्री सन्तोष कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 12-12-

17 से 15-12-2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

| वित्तीय वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|
| 2014-15 | 03/2015 | 08/2014 |
| 2015-16 | 03/2016 | 01/2016 |
| 2016-17 | 03/2017 | 12/2016 |

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया हैI उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

**3 अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत भटवारी, विकास खण्ड सदर, जिला मंडी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिoप्रo) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 01 दिनांक 15-12-17 द्वारा अनुरोध किया गया।

**4 वितीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत भटवारी प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

**(1) स्व स्त्रौत :-** ग्राम पंचायत भटवारी, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

| वर्ष | अथशेष | प्राप्ति | योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 153971.23 | 57710 | 211681.23 | 39141 | 172540.23 |
| 2015-16 | 172540.23 | 88623 | 261163.23 | 11619 | 249544.23 |
| 2016-17 | 249544.23 | 96095 | 345639.23 | 22282 | 323357.23 |

**(2) अनुदान :-** ग्राम पंचायत भटवारी के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

| वर्ष | अथशेष | प्राप्ति | योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 1168536.47 | 3158447 | 4326983.47 | 3105326.05 | 1221657.42 |
| 2015-16 | 1221657.42 | 2566705 | 3788362.42 | 1831226.10 | 1957136.32 |
| 2016-17 | 1957136.32 | 4129982.31 | 6087118.63 | 4095830.00 | 1991288.63 |

**बैंक समाधान विवरणी :-**

**स्व स्त्रौत :-**

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष : ₹323357.23

**अनुदान :-**

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष : ₹1991288.63

**स्व स्त्रौत एवं अनुदान की रोकड़ बहियों में**

**दिनांक 31.03.17 को अन्तिम शेष : ₹2314645.86**

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में अन्तिम शेष : ₹2314645.86

दिनांक 31.03.17 को हस्तगत राशि (स्व-स्त्रौत) : शून्य

अन्तर : शून्य

| बैंक खाता संख्या | राशि |
|---|---|
| 3106 | 2113480.86 |
| 3823 | 71 |
| 8478 | 64177 |
| 8480 | 25290 |
| 8481 | 73656 |
| 8484 | 30965 |
| 8483 | 3649 |
| 8482 | 3213 |
| 8485 | 144 |
| **कुल राशि** | **₹2314645.86** |

**5 (क ) पंचायत राजस्व ₹1.05 लाख वसूली हेतु शेष:-**

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि गृहकर, के रूप में वसूली हेतु ₹105420 शेष थी, जिसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित करें। निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.17 तक पंचायत के राजस्व ₹105420 की वसूली हेतु शेष थी।

1. गृहकर :

| वर्ष | अथशेष | गृहकर की मांग | योग | प्राप्ति | वसूली हेतु शेष राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 57720 | 17500 | 75220 | - | 75220 |
| 2015-16 | 75220 | 17500 | 92720 | 4800 | 87920 |
| 2016-17 | 87920 | 17500 | 105420 | - | 105420 |

**(ख) गृहकर के रूप में वसूल की गई राशि में से ₹400 कम जमा करवाना:-**

चयनित मास 03/16 की गृह कर की आय की जांच करने पर पाया गया कि, रसीद संख्या 119716 से 119800 दिनांक 8/3/2016 द्वारा प्राप्त ₹3400 के स्थान पर ₹3000 की प्रविष्टी रोकड़ बही में की गई, जिसके कारण ₹400 कम पंचायत निधि में जमा हुई। अत:

कम जमा हुई ₹400 की वसूली उत्तरदायी कर्मचारी से कर के, पंचायत निधि में जमा करबायी जाये तथा की गई कारबाई से अंकेक्षण को अवगत करावाया जाये।

**6 अनुदान ₹19.91 लाख का उपयोग न करना :-**

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹1991288 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने बाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

**7 निर्माण सामग्री के क्रय पर ₹0.08 लाख का अधिक भुगतान**

माह 12/2016 के व्यय वाउचरों की जांच में पाया गया कि मैसर्ज सूर्या स्टोर से निर्माण सामग्री रेत, बजरी आदि का क्रय किया गया तथा निर्माण सामग्री को लाने के लिए गाड़ी के किराए के रूप में ₹2000 प्रति गाड़ी की दर से तय हुआ था परन्तु निम्न प्रकरणों में किराए के रूप में ₹2000 से अधिक का भुगतान किया गया जिसके कारण ₹8300 का किराए के रूप में अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली सम्बंधित आपूर्तिकार अथवा उत्तरदायी कर्मचारी से करके, पंचायत निधि में जमा करवाई जाए तथा कृत कारवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

| क्रं सं | वाउचर सं/माह | विवरण | बिल सं/ दिनांक | भुगतान की गई राशि (सामग्री+किराया) | भुगतान योग्य राशि (सामग्री+किराया) | किराए के रूप में अधिक भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 118 माह 12/2016 | 800 घन फुट बजरी और रेत का क्रय | 78 दिनाकं 20-12-16 | 29800 (26400+3400) | 28400 (26400+3400) | 1400 |
| 2. | 119 माह 12/2016 | 800 घन फुट बजरी और रेत का क्रय | 77 दिनाकं 20-12-16 | 29800 (26400+3400) | 28400 (26400+3400) | 1400 |
| 3. | 120 माह 12/2016 | 800 घन फुट बजरी और रेत का क्रय | 79 दिनाकं 20-12-16 | 29400 (26400+3400) | 28400 (26400+3400) | 1000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 121 माह 12/2016 | 800 घन फुट बजरी और रेत का क्रय | 80 दिनाकं 20-12-16 | 29400 (26400+3400) | 28400 (26400+3400) | 1000 |
| 5. | 122 माह 12/2016 | 1050 घन फुट बजरी और रेत का क्रय | 84 दिनाकं 20-12-16 | 38800 (33300+5500) | 35300 (33300+2000) | 3500 |
| | | | | | **कुल योग** | **8300** |

**8 क्रय सामग्री लागत ₹0.10 लाख का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने, जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है। जांच में पाया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत द्वारा भण्डार रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था जिससे क्रय सामग्री की सत्यता की जांच नहीं की जा सकती। चयनित माहों के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-4 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹10452 की क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

**9 खाता बहियाँ तैयार न करना :-**

जांच में पाया कि पंचायत में वर्ष 2014-15 से 2016-17 में खाता बहियाँ तैयार नहीं की गई थी जबकि पंचायती राज वित्त नियम 29(1) के अन्तर्गत प्रारूप-7 व वित्त नियम-4 के अनुसार खाता बहियाँ तैयार करना अपेक्षित थी। जिनके अभाव में इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि किसी विशेष कार्य हेतु कितनी राशि प्राप्त की गई, कितनी राशि व्यय की गई थी एवं कितनी राशि शेष थी। अतः खाता बहियों को तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा नियमों के अनुसार खाता बहियाँ तैयार करना सुनिश्चित करें।

**10 पंचायत की अतिरिक्त राशि को नियमानुसार निवेश न करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है ताकि इन पर ब्याज के रूप में अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान सावधि जमा खाते (FDR)में कोई निवेश नहीं किया गया था । वितिय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा

। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण से अवगत करवाया जाये।

**11 विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर।
3. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना।
5. रसीद बुकों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना।
6. भण्डार रजिस्टर तैयार न करना।
7. वही खाते तैयार न करना।

**12 प्रत्यक्ष सत्यापन :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

**13 लघु आपति विवरणिका :-**इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया I

**14 निष्कर्ष :-** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(xi)49/2018 खण्ड–1–3089–3092 दिनांक 07.05.2018
शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सदर जिला मण्डी हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत भटवाड़ी, विकास खण्ड सदर, जिला मण्डी हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
( ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881